परिपत्र संख्या 10/11

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर–भवन", अजमेर

कमांकः एफ–7(ए.जी.कम्पलाईन्स)11/ 1358-71 दिनांकः 8/9/11

1. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),
   जयपुर

2. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन
   एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राज०

परिपत्र

मुद्रांक प्रकरणों में पारित कलक्टर (मुद्रांक) के आदेशों के परीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि रेफरेन्स प्रकरणों में पारित आदेश में निर्णय का समुचित ठोस साक्ष्य एवं आधारों का उल्लेख नहीं होता है।

जनलेखा समिति की बैठक दिनांक 20.7.11 में मुद्रांक प्रकरणों को ड्राप किये जाने के क्रम में हुई चर्चा के दौरान सभापति महोदय द्वारा टिप्पणी की गई कि जिस प्रकरण को ड्राप (खारिज) किया जाता है उसमें रीजन (कारण आना चाहिए कि क्यों खारिज किया उसका आधार रिपोर्ट पर आने चाहिये।

अतः पंजीयन मार्गदर्शिका 2009 के परिपत्र 3/09 के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जनलेखा समिति की भावना के अनुरूप निर्देश दिये जाते हैं कि मुद्रांक प्रकरणों के निर्णय के अन्तिम भाग में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों व साक्ष्य पर विवेकपूर्ण मनन के पश्चात् अपने निष्कर्षो के स्पिकिंग आर्डर में स्पष्ट कारणों व आधारों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किये जावें।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

कमांकः एफ–7(ए.जी.कम्पलाईन्स)11/ दिनांकः

प्रतिलिपि :–

प्रभारी ए.जी.शाखा, मुख्यालय–अजमेर को उनके यू.ओ.नोट क्रमांक एफ.6(786)लेखा/ए.जी./11/2035 दिनांक 25.8.11 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर